कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 685 भोपाल, दिनांक 15/02/21

प्रति,

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला सागर के अंतर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 505.5 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-04/2020-FC दिनांक 29.01.2021

---0---

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. प्रकरण में 505.5 हेक्टेयर वन भूमि के स्थान पर 530.85 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–1 में प्रभावित रकबा में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अतः आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु C में प्रभावित 530.85 हेक्टेयर की KML file को अपलोड कर दिया है। इस बिन्दु में कुल 06 KML file को अपलोड किया गया है। बिन्दु 06 में सम्पूर्ण Submergence area को प्रदर्शित किया गया है तथा इसे 0 हेक्टेयर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस बिन्दु C के अनुक्रमांक 1 में KML file का रकबा 457.16 अंकित है जबकि KML file 490.38 हेक्टेयर की है। प्रकरण में प्रभावित वन क्षेत्र का विवरण भाग–1 में अतिरिक्त जानकारी के कॉलम क्रमांक 9 में दिया गया है।

   आवेदक संस्था द्वारा पुनरीक्षित Cost Benefit Analysis, Jutification प्रस्तुत कर दिया है जो संलग्न है। इसे भाग–1 में अपलोड भी कर दिया गया है। प्रस्ताव में आवेदक संस्था को 505.50 हेक्टेयर के लिये एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त है। शेष वन क्षेत्र के लिये एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये आवेदक संस्था ने जिलाध्यक्ष, सागर को आवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति संलग्न है एवं इसे भाग–1 में अपलोड भी कर दिया गया है।

   इस प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि 530.85 हेक्टेयर के विरूद्ध आवेदक संस्था ने 572.07 हेक्टेयर गैर वन भूमि उपलब्ध कराई है। यह गैर वन भूमि आवेदक संस्था ने बीना परियोजना (1024 हेक्टेयर) के लिये काफी पूर्व में उपलब्ध करा दी थी तथा यह काफी पूर्व से वन विभाग के आधिपत्य में है। अतः प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

   प्रस्ताव में 530.85 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन करने की अनुशंसा वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर, मुख्य वन संरक्षक, सागर, नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन द्वारा की गई है। यह सभी चारो अनुशंसाओं की प्रति संलग्न है।

2. प्रस्ताव में कुल 06 ट्रांसमिशन लाईन के मार्ग में परिवर्तन किया जाना है। इन 06 लाईनों के परिवर्तित मार्ग के लिये आवश्यक वन भूमि तथा गैर वन भूमि की योजना तैयार कर ली गई है जो भाग–1 में अतिरिक्त जानकारी के कॉलम क्रमांक 10 में भी अपलोड कर दी गई है। योजना की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 686 भोपाल, दिनांक 15/02/21

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

RECOMMENDATION LETTER (अनुशंसा पत्र)

बण्डा वृहद् सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु वन प्रस्ताव कमांक FP/MP/IRRIG/33882/ 2018 वन मंडल उत्तर सागर के वन परिक्षेत्र बांदरी एवं उत्तर सागर की आवेदित वनभूमि रकवा 530.85 हेक्टेयर वनभूमि आवेदक विभाग के प्रस्तावित कार्य के उपयोगार्थ हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :– 11/02/2021

स्थान :– सागर

(वेणी प्रसाद धौतानिया)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर वन मंडल

भाग–3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ,
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नही तो उसका कारण दे।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	परियोजना प्रबंधक बीना PMU जल संसाधन विभाग सागर के Online प्रस्ताव FP/MP/IRRIG/33882/2018 में वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर के द्वारा प्रस्ताव के Online Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर बंडा सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वनमंडल उत्तर सागर के परिक्षेत्र बांदरी एवं उत्तर सागर की आवेदित वनभूमि रकवा 530.85 ha. वनभूमि उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तो को मान्य करना होगा।

तिथिः– 11/02/2020
स्थानः– सागर

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

भाग—IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।		मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर वनमण्डल उत्तर सागर के वन परिक्षेत्र बांदरी तथा वन परिक्षेत्र उत्तर सागर की कुल 519.50 हेक्टेयर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि की कुल 11.35 हेक्टेयर भूमि इस प्रकार बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कुल 530.85 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :—12/02/2021

स्थान :— भोपाल

(सुनील अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Part - IV.docx

प्रपत्र–V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग ''ख'' या भाग ''ग'' या भाग ''घ'' में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सागर जिले के अन्तर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कुल 530.85 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः .02.2020
स्थानः भोपाल

(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव, वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)